न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00008 RAAJodhpur2018-02RTA223 Ramkishan Vs Bhawarlal etc

रामकिशन पुत्र रणजीताराम जाति विश्नोई, निवासी- श्री सुरपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

न

म

1. भंवरलाल पुत्र श्री अर्जुनराम
2. सांवरलाल पुत्र श्री अर्जुनराम
3. शिवदत्त पुत्र अर्जुनराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासी- श्रीसुरपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
4. हनुमानराम पुत्र दलुराम
5. हरदास पुत्र दलुराम
6. मांगीलाल पुत्र हरदास
7. भागीरथ पुत्र रणजीताराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासी- श्रीसुरपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बाप निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 2017 राजस्व वाद संख्या 425/2013 भंवरलाल व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट

श्री किशनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1

श्री बीरबलराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 व 3

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 08

नि र्ण य

दिनांक : 23 नवंबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 2017 राजस्व वाद संख्या 425/2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भंवरलाल व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 जनवरी 2018 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक से तीन ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार बाप से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 10 मई 2017 को अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को वाद की सुनवाई का कोई नोटिस ही नही दिया एवं बिना सुनवाई के ही विभाजन के वाद में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था एवं पत्रावली इस प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु मुकर्रर थी, इसी बीच पत्रावली को राजस्व शिविर में ले जाकर मनमाने ढंग से निर्णित कर दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन के वाद में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने हेतु जो विभाजन नियम बने हुए है, उन नियमों की कोई पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई एवं न मौजूदा कब्जे के बारे में कोई जांच की गई। एक ही खसरा नं. 349 का विभाजन करते हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े कर दिये गये एवं पक्षकारान् के हिस्से में आने वाली भूमि को विखण्डित कर दिया गया, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार ही नही किया गया, बल्कि पटवारी द्वारा वादीगण के कहे अनुसार तैयार कर पेश कर दिये गये एवं उक्त प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थी को बुलाया तक नहीं गया। इस मामले में वर्तमन पटवारी स्वयं वादीगण का नजदीकी रिश्तेदार है एवं उसने वादीगण के कहे अनुसार मनमाने ढंग से प्रस्ताव तैयार कर पेश कर दिया, जिस बाबत अन्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का भी निस्तारण नहीं किया गया। पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनाधिकारपूर्ण है। तहसीलदार स्वयं कभी भी मौके पर विभाजन प्रस्ताव हेतु आये ही नहीं। इस प्रकार तमाम कार्यवाही ही दूषित हो चुकी थी। पूर्व में वर्षो पूर्व पक्षकारान् के बीच आपसी समझाईश से भूमि का विभाजन किया हुआ था एवं उसी अनुसार मौके पर अलग-अलग पक्षकारान् काबिज चले आ रहे है तथा जमाबंदी में भी अपना अलग-अलग खसरा नं. दर्ज किये हुए है जो राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से ही स्पष्ट है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन डिक्री के जरिये पूर्व में स्थापित कब्जा एवं रहवासीय ढाणियां व तारबंदी सबकुछ बदलना पड़ेगा। खसरा नं. 349 का विभाजन करते समय सह खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते के बारे में कोई ध्यान नहीं रखा गया, जबकि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय ही इस बारे में व्यवस्था कर दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त विभाजन प्रस्ताव बिलकुल ही गलत तैयार करके नियमों के विपरीत पेश किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सोचे समझे अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय ने उनके समक्ष लंबित वाद को मनमाने ढंग से राजस्व कैम्प में ले जाकर निर्णित कर दिया, जबकि कानूनन ऐसा करने के उनको अधिकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे में राज्य सरकार के राजस्व शिविर संबंधी निर्देशों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कानून की नजर में कोई आदेश ही नहीं है, इस आदेश में न तो कोई कारण दर्शाये गये है एवं न किसी बिंदु पर कोई फाईंडिंग दी गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अपीलार्थी को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा बाले-बाले ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। प्रार्थी एक ट्रक ड्राईवर है, बीकानेर एवं पूना के बीच वाहन चलाता है। दिनांक 05.12.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017 को अपीलार्थी बाहर से अपने गांव आया तो रेस्पोडेंट वादीगण ने खसरा नं. 349 की भूमि पर तारबंदी तोड़ने का प्रयास किया, तब प्रार्थी द्वारा मना करने पर उन्होने कहा कि उनके पक्ष में बाप एस.डी.ओ. कोर्ट का फैसला है, इस कारण वे उसके अनुसार दुबारा तारबंदी करेंगे, तब प्रार्थी ने दिनांक 06.12.2017 को बाप जाकर पता करवाया एवं वहां पर दिनांक 07.12.2017 को वकील के मार्फत नकल की अर्जी पेश करवाई व पुनः ट्रक लेकर पूना चला गया, जहां से दिनांक 31.12.2017 को वापिस गांव आया एवं वकील से जाकर मिला तो उन्होंने अपने पास पड़ी नकले दी, जिन्हें पढाने पर प्रार्थी को उसके बारे में प्रथम जानकारी हुई। इससे पहले प्रार्थी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रथम जानकारी से यह अपील अंदर म्याद पेश की जा रही है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलार्थी की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से तैयार करवा कर मंगवाये जाने के बाद सुनवाई वाद में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार बाप ने स्वयं मौके पर जाकर नियम 18 से 21

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की पालना मे खातेदारान् के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील होने के उपरांत भी वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 16 मार्च 2017 को ही हो गयी थी। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन पेश किये है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास जताते हुए अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए एवं अपील के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार बाप द्वारा स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तैयार नहीं कर पटवारी हल्का श्रीसुरपुरा द्वारा तैयार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करवाया गया है तथा तहसीलदार बालेसर द्वारा उस पर **हस्ताक्षर** किये जाकर प्रमाणित जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारान् के आवागमन हेतु रास्ते का विकल्प नहीं रखा जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 2017 राजस्व वाद संख्या 425/2013 भंवरलाल व अन्य बनाम भागीरथराम इत्यादि को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि **वह मामले मे विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की मौके पर उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तथा समुचित रास्ते का प्रावधान रखते** तैयार करवाकर उस पर उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/11/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर